तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही, मय इनिशियन्स जज

रेस्टोरेशन प्रार्थनापत्र सं० 23/2019

रूपाराम - हीरालाल वगैरह 21 मे

25.2.19

प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अवधि 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के उपरान्त विलम्ब से पेश किया गया है यानि 19 माह की अत्यधिक व्यतीत हो जाने के उपरानत न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 07.02.2019 को पेश किया गया है। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा उक्त आदेश दिनांक की आदेशिका की प्रति प्राप्त करने हेतु कार्यालय में नकल प्रार्थना पत्र दिनांक 29.01.2019 को प्रस्तुत किया तथा दिनांक 30.01.2019 को प्रमाणित प्रति प्राप्त की है अतः आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने में लगे एक दिन के समय का लाभ भी दे दिया जावे तो भी यह रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र मियाद बाहर पेश किया गया है एवं रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में विलम्ब को कन्डोन करने हेतु प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र में अपने कथनो की पुष्टि में कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे कथनों की सत्यता आंकी जा सके।

ऐसे में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र को मियाद बाहर प्रस्तुत करने के आधार पर अस्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र बाद निर्णय फैसल शुमार किया जावे।

(बी0 एल0 कोठारी)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

न्यायालय डिविजनल कमिश्नर
सत्यमेव जयते
जोधपुर